राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. परिशोधन प्रार्थना–पत्र संख्या – 14/2016/जोधपुर.
(सम्बन्धित अपील संख्या–29/2011/जोधपुर)
2. परिशोधन प्रार्थना–पत्र संख्या – 15/2016/जोधपुर.
(सम्बन्धित अपील संख्या–30/2011/जोधपुर)

मैसर्स इण्डियन रेयन एण्ड इण्डस्ट्रीज, खारियाखंगार, जोधपुर. .....प्रार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोधपुर. .....अप्रार्थी.

खण्डपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन. एम. मेड़तिया, अधिकृत प्रतिनिधि .....प्रार्थी की ओर से.
श्री जमील जई, उप–राजकीय अभिभाषक .....अप्रार्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 08/05/2017

निर्णय

1. प्रार्थी द्वारा ये संशोधन प्रार्थना–पत्र राजस्थान कर बोर्ड की अपील संख्या क्रमशः 29/2011 व 30/2011/जोधपुर में माननीय खण्डपीठ द्वारा पारित संयुक्त निर्णय दिनांक 06.07.2015 में परिलक्षित भूल बताते हुए सुधार हेतु प्रस्तुत किये गये हैं।

2. प्रार्थी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि एवं अप्रार्थी राजस्व के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गयी।

3. प्रार्थी व्यवसायी की ओर से प्रार्थी के केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे **'केन्द्रीय अधिनियम'** कहा जायेगा) के तहत वर्ष 1990–91 व 1991–92 के कर निर्धारण आदेश दिनांक 07.09.95 के विरूद्ध राज्य में प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष जो अपीलें की गयी थी वे उनके समक्ष लम्बित थी उन अपीलों को केन्द्रीय अधिनियम में धारा 18A जोड़े जाने के कारण एवं केन्द्र सरकार की गजट अधिसूचना क्रमांक एफ.3/2010–सीएसटी/एफ. नम्बर 28.09.2006 (सीएसटी) दिनांक 28.05.2010 के आलोक में अपीलीय अधिकारी द्वारा केन्द्रीय अधिनियम 1956 की धारा 6A से सम्बन्धित उक्त लम्बित अपीलों को राजस्थान कर बोर्ड को स्थानान्तरित किया गया था। प्रकरणों को स्थानान्तरित करने के आदेश पर आपत्ति की जाने पर दिनांक 06.07.2015 को माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा यह निर्णय दिया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें, जिसमें धारा 6A के संव्यवहार अन्तर्वलित हैं, केन्द्रीय अधिनियम की धारा 18ए के आलोक में केवल कर बोर्ड में ही चलने योग्य होने से कर बोर्ड द्वारा ही सुनवाई की जा सकती है तथा अपीलार्थी के

लगातार.....2

कि उस निर्णय के अनुसार प्रार्थी के प्रकरण में अपील सुनने का अधिकार उपायुक्त (अपील्स) के पास ही है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत होसैन कासिम दादा के निर्णय का अध्ययन किया गया। उक्त निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न प्रस्तुत हुआ था कि अपीलार्थी फर्म **होसैन कासिम** का अपीलीय प्रकरण प्रारम्भ होने की तिथि के पश्चात् अधिनियम में यह संशोधन किया गया था कि अपील प्रस्तुत करने के समय कर के भुगतान का प्रमाण आवश्यक होगा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि कर के भुगतान का प्रमाण पेश करने सम्बन्धी संशोधन अपीलार्थी के अपीलीय अधिकार उत्पन्न होने के बाद का है अतः उनकी अपील इस आधार पर खारिज नहीं की जा सकती, जबकि इस प्रकरण में किसी भी तरह की अपील खारिज किये जाने का मामला नहीं होकर अपील श्रवण के लिये प्राधिकारी की नियुक्ति एवं क्षेत्राधिकार का बिन्दु विचारणीय था। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत किया गया निर्णय तथ्य एवं विधि के बिन्दु पर भिन्न होने से इस प्रकरण में लागू नहीं होता है।

6. यह उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय अधिनियम में केन्द्र सरकार द्वारा वित्त अधिनियम, 2010 के द्वारा अधिनियम में चैप्टर 5(ए) जोड़ते हुए धारा 18ए सम्मिलित कर इस अधिनियम की धारा 6ए की उपधारा (2) एवं (3) के बिन्दु पर किये गये कर निर्धारण आदेशों के विरूद्ध प्रथम अपीलीय प्राधिकारी उस राज्य की उच्चतम अपीलीय प्राधिकारी को बनाया गया है। चूंकि दिनांक 01.06.2010 के पूर्व धारा 6ए के तहत उत्पन्न विवादों में अपील किये जाने सम्बन्धी कोई अलग से प्रावधान केन्द्रीय अधिनियम में नहीं थे अतः राज्य की अपीलीय प्रक्रिया अनुसार प्रथम अपीलीय अधिकारी को अपील प्रस्तुत की जा सकती थी परन्तु वर्ष 2010 से केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6ए(2) एवं (3) के मामलों में केन्द्रीय अधिनियम में प्रथम अपीलीय अधिकारी राज्य की उच्चतम अपीलीय प्राधिकारी को अधिकृत किया गया है ऐसी स्थिति में अब धारा 6ए के मामलों में राज्य के प्रथम अपीलीय अधिकारी किसी अपील को सुनने के लिये अधिकृत नहीं रहे हैं बल्कि ऐसे मामलों में राजस्थान राज्य की उच्चतम अपीलीय प्राधिकारी कर बोर्ड को ही अधिकार होने से माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा दिनांक 06.07.2015 को पारित विस्तृत आदेश में कोई त्रुटि नहीं होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना—पत्र खारिज किये जाते हैं।

7. निर्णय सुनाया गया।

(के. एल. जैन)
सदस्य

(मदन लाल)
सदस्य